भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2031
दिनांक 18 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर रोक लगाए जाना

2031 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने कबाब, मछली, चिकन और शाकाहारी व्यंजनों में कृत्रिम खाद्य रंगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इनमें हानिकारक रसायन होते हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को हांगकांग सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किए गए खाद्य पदार्थों में रंग संबंधी नियमों के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो इसी तरह के कानून को लागू करने के बारे में सरकार का रुख क्या है, यदि नहीं, तो जागरूकता की इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य उत्पादों में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में क्या उपाय किए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है।

एफएसएसएआई को 2020 में प्रकाशित हांगकांग सरकार के खाद्य विनियमों में रंग संबंधी मामले की जानकारी है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियमन, 2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें विभिन्न खाद्य श्रेणियों में खाद्य रंगों के उपयोग के संबंध में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। खाद्य रंगों की सुरक्षा एवं उनके उपयोग की सीमाएँ कोडेक्स के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।

किसी भी गैर अनुमत रंग का उपयोग एफएसएस विनियमों का उल्लंघन है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 19 में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई खाद्य योजक या प्रसंस्करण सहायक नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप न हो। इसके अलावा, सब्जी, चिकन और मछली कबाब जैसे विक्रेताओं द्वारा बेचे जा रहे तैयार खाद्य पदार्थों में किसी भी रंग/योजक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 29 के आधार पर, राज्य प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत निहित सिद्धांत और उद्देश्यों के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है।

एफएसएसएआई राज्य/संघ शासित क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए खाद्य उत्पादों की निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है। यदि खाद्य नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, तो एफएसएस अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

****